[2013] 4 एस. सी. आर 956

राज्य सभा सचिव और अन्य

बनाम

सुभाष बलोदा और अन्य

(2013 की सिविल अपील सं. 1099)

11 फरवरी, 2013

[जी. एस. सिंघवी और एच. एल. गोखले, जे. जे.]

सेवा कानून- भर्ती/ चयन - एनसीसी/स्पोर्ट्स और कंप्यूटर कोर्स प्रमाणपत्रों के लिए कुछ अंकों का आवंटन - प्रमाणपत्र अंकों को साक्षात्कार अंकों का घटक बना दिया गया- साक्षात्कार के अंक-चुनौती देने वाले असफल उम्मीदवार साक्षात्कार के अंकों का विभाजन-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश अदालत ने इसे मनमाना और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना- एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने आगे सिफारिश की कि एन. सी. सी./खेल या कंप्यूटर में प्रवीणता का निर्णय साक्षात्कार द्वारा किया जाना चाहिए था। और उसके लिए 0 से 5 की सीमा में अंक जोडे जाने चाहीए थे बजाये 7 के अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः विधि. चयन प्राधिकारी द्वारा लागू किया जाना गलत नहीं था चयन प्रक्रिया भेदभावपूर्ण नहीं थी और न ही संविधान के

अनुच्छेद 14 और 16 के प्रावधानों का उल्लंघन उच्च न्यायालय ने अपने स्वयं के पठन को साक्षात्कार बोर्ड में चयन प्रक्रिया की आवश्यकताआे को लागू किया है। यह न्यायालय का काम नहीं है कि चयन प्राधिकरण जिसे उचित समझता है, उसे न्यायालय प्रतिस्थापित करे - उच्च न्यायालय का प्रस्ताव चयन के लिए नियम के पुनर्लेखन के बराबर है जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते समय अनुज्ञेय नहीं है-न्यायिक समीक्षा-न्यायिक समीक्षा का दायरा।

विचाराधीन पद पर भर्ती के दौरान, उस समय साक्षात्कार के कुल अंकों (यानी 25 अंक) में से 7 अंक एन. सी. सी./खेल और कंप्यूटर पाठ्यक्रम के प्रमाण पत्रों के लिए आवंटित किए गए थे।

प्रत्यर्थी, जिनका चयन नहीं किया गया था, ने रिट दायर की प्रमाणपत्र के अंकों को साक्षात्कार के अंकों का एक घटक बना दिया है, क्योंकि उन्हें अंकों के विभाजन का संकेत नहीं दिया गया था अग्रिम रूप से और न्यूनतम कट-ऑफ अंकों को प्रमाण पत्र के अंकों को छोड़कर तय किया जाना चाहिए था।

उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने याचिका को मंजूरी दी, यह अभिनिर्धारित करते हुए कि साक्षात्कार बोर्ड की कार्रवाई आटिर्कल 14 की मनमानी आैर उल्लधंनकारी थी। जिससे न्यूनतम कट आॅफ में सर्टीफकेट के अंको को ध्यान में रखा गया आैर वह भरी उम्मदीवारों के

जानकारी में आये बगैर। एकल न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखते हुए उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा आगे यह सिफारिश की गई कि साक्षात्कार बोर्ड द्वाराएन. सी. सी./खेलों में प्रवीणता या कंप्यूटर पाठ्यक्रम में द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए था आैर उन अंकों को 0 से 5 की सीमा में जोड़ा जाना चाहिए था। इसलिए वर्तमान अपील।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने-

अभिनिर्धारित किया: 1. विधि में कुछ भी गलत नहीं था जिसमें अपीलार्थियों द्वारा चयन के लिए आवेदन किया गया। साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों के बीच कोई भेदभाव नहीं था, न ही विज्ञापित आवश्यकताआे में कोइर् विचलन था। यह हमेश कहा जा सकता है कि एक तरफा दूसरे से बेहतर होगा परन्तु विज्ञापित आवश्यकताआे मे कोइ विचलन था। यह हमेशा कहा जा सकता है कि एक तरफा दूसरे से बेहतर होगा परन्तु न्यायालय का काम उस चीज़ को प्रतिस्थापित करना नहीं है जिसे वह चयन प्राधिकरण के लिए उचित समझता है। उम्मीदवारो के अधिकारों का ध्यान रखते हुए चयन प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट आवश्यकताआे को नजरअंदाज नही िकया जा सकता। उच्च न्यायालय ने विवादित आदेशों में प्रस्ताव दिया है कि चयन के लिए नियमों को फिर से लिखना है, जो की शक्ति का प्रयोग करते समय स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य था न्यायिक समीक्षा। [पैरा 28] [977-डी-एफ]

के. मंजुश्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2008 (3) एससीसी 512: 2008 (2) एससीआर 1025; हिमानी मल्होत्रा बनाम उच्च 958 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2013] 4 एस. सी. आर. दिल्ली न्यायालय 2008 (7) एस. सी. सी. 11: 2008 (5) एस. सी. आर. 1066 विशिष्ट।

2. साक्षात्कार बोर्ड को दोष नहीं दिया जा सकता है प्रमाण पत्र 25 साक्षात्कार अंकों के एक घटक को चिह्नित करता है। अपीलार्थियों ने विज्ञापन दिया था कि एनसीसी / खेल और कंप्यूटर प्रमाणपत्र 'वांछनीय' थे। कॉल-लेटर में, विशेष रूप से उम्मीदवारों को व्यक्तिगत साक्षात्कार के समय अपने प्रमाण पत्र लाने के लिए कहा गया था। संबंधित संस्थान द्वारा एक घोषणा के साथ कि उम्मीदवार द्वारा किए गए पाठ्यक्रम को ए. आई. सी. टी. ई. या डी. ओ. ई. ए. सी. सी. द्वारा मान्यता दी गयी थी। इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि साक्षात्कार के एक भाग के रूप में उन प्रमाण पत्रों को क्रेडिट दिया जाना था। इसलिए उत्तरदाता कोई शिकायत नहीं कर सकते हैं कि वे (25 में से) 7 देकर आश्चर्यचकित हो गए। प्रमाणपत्रों के लिए समानता से 5 और/या 2 अंक दिए गए थे, और जिनके पास वे नहीं थे उन्हे इस तरह के अंक नहीं दिए गए। इसलिए इस प्रक्रिया को मनमाना नहीं कहा जा सकता है। [पैरा 23] [973-जी-एच; 974-ए-सी]

3. वर्तमान मामले में साक्षात्कार 25 अंको का होना था। वह दृष्टिकोण जिसने न्यायाधीशों का ध्यान आकृष्ट किया है का मतलब होगा कि कट-ऑफ अंक (50 प्रतिशत कहें) 18 अंकों में से प्राप्त करना होगा,

जबकि विज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि कट-ऑफ के अंक लिखित परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार में प्राप्त किया जाना था। इसका मतलब निर्धारित 25 अंकों में से कट-ऑफ अंक प्राप्त साक्षात्कार के लिए भी था। इसका परिणाम यह हुआ कि वह दृष्टिकोण जिसे उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया था, ऐसा भी हो सकता है कि जिन उम्मीदवारों के पास एन. सी. सी./खेल प्रमाण पत्र या कोई कंप्यूटर पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र नहीं था, वे 18 अंकों में से अधिक अंक प्राप्त करेंगे और सूची में शीर्ष पर होंगे। दूसरी ओर, जिन उम्मीदवारों के पास ये प्रमाण पत्र थे, उन्हें 18 में से कट-ऑफ अंक, या भले ही उन्हें वे अंक मिले हों, वे चयन के िलए योग्यता क्रम में अंतर-वरिष्ठता में निचले स्तर पर उतर सकते हैं । यह निश्चित रूप से चयन प्रक्रिया द्वारा नही किया जाना था, जब इन प्रमाणपत्रों को पहले से 'वांछनीय' घोषित किया गया था। [पैरा 24] [974-डी-जी]

4. डिवीजन बेंच की सिफारिश है कि प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवारों की प्रवीणता 0 से 5 के पैमाने पर मूल्यांकन करने का अर्थ होगा एक आैर परीक्षा लेना जहाँ तक कंप्यूटर पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र की बात है, या किसी विशेष खेल में या एन. सी. सी. कैडेट के रूप में अपने कौशल का प्रदर्शन करें। विज्ञापन में निश्चित रूप से इस पर विचार नहीं किया गया था। विज्ञापन में केवल यह कहा गया था कि एनसीसी/खेल मान्यता प्रमाण पत्र और कंप्यूटर पाठ्यक्रम जो ए. आई. सी. टी. ई./डी. ओ. ई. ए. सी. सी. से प्रमाणित हो वही वांछनीय है। काॅल लेटर मे

विशेष रूप से कहा गया है कि उन्हें साक्षात्कार के समय श्रेय दिया जाएगा। संयुक्त भर्ती प्रकोष्ठ नहीं चाहता था। उन प्रमाणपत्रों की वैधता पर जाएं जब वे उचित अधिकारियों से थे, और इसलिए, साक्षात्कार बोर्ड द्वारा निष्पक्ष रूप से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवारों को सभी अंक दिए गए आैर उन्हें 25 अंकों में से एक घटक बनाया गया । यह विवादित नहीं हो सकता कि अपीलकर्ताओं ने एक समान मानक लागू किया। [पैरा 25] [974-एच; 975-ए-सी)

5. यह लोकसभा और राज्यसभा के लिए था कि यह तय करे कि वे सुरक्षा सहायक किस योग्यता की उम्मीद करते हैं। वे लोग चाहते थे, खेल/एन. सी. सी. और कंप्यूटर पाठ्यक्रम के प्रमाणपत्र। इसलिए, उन्होंने विशेष रूप से उन प्रमाणपत्रों का उल्लेख वांछनीय के रूप में किया। इन प्रमाणपत्रों के लिए 5+2 अंक निर्दिष्ट किए गए थे। इसी उदयेश्य से प्रमाण पत्र को 25 में से 7 अंक देने की साक्षात्कार बोर्ड की प्रक्रिया को जनता के मामले में रोजगार के समान अवसर से इनकार के रूप में नही देखा जा सकता। असमान उम्मीदवारों से उम्मीद नहीं की जा सकती थी। उन्हे समान व्यवहार प्राप्त हो। अतः वर्तमान प्रक्रिया में चयन के मामले में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 या 16 का कोई उल्लंघन नहीं है। [पैरा 25] [975-ई-जी]

6. उच्च न्यायालय ने अपनी खुद की रीडिंग लागू की जिसमें साक्षात्कार के लिए चयन प्रक्रिया की आवश्यकताएँ बतायी। यह इंटरव्यू

बोर्ड को तय करना था कि कौन सी विधि का पालन करें। साक्षात्कार बोर्ड ने इसका पालन किया था। वर्ष 2006 की शुरुआत में जिसे एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा बरकरार रखा गया। साक्षात्कार बोर्ड उसी का पालन कर रहा था। पैटर्न। [पैरा 26] [975-एच; 976-ए]

हरियाणा लोक सेवा आयोग बनाम अमरजीत सिंह 1999 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 1451-पर निर्भर था।

7. वर्तमान मामले में कॉल लेटर में यह स्पष्ट किया गया था कि संबंधित प्रमाणपत्रों को श्रेय दिया जाएगा। साक्षात्कार के समय, क्योंकि वे 'वांछनीय' थे, और इसलिए साक्षात्कार बोर्ड की ओर से किसी पूर्वाग्रह या कमी का कोई सवाल ही नहीं था प्रमाणपत्रों के लिए निर्दिष्ट अंकों में। [पैरा 27] [977-बी-सी]

बारोट विजय कुमार बालकृष्ण और अन्य। बनाम मोध विनय कुमार दशरथलाल और अन्य। 2011 (7) एससीसी 308: 2011 (7) एस. सी. आर. 154-पर निर्भर।

महेश कुमार और अन्न। बनाम भारत संघ 151 (2008) दिल्ली लॉ टाइम्स 353; यू. पी. बनाम राज्य सिंथेटिक्स और केमिकल्स लिमिटेड 1991 (4) एस. सी. सी. 139; भारत संघ बनाम धनवंती देवी 1996 (6)

एस. सी. सी. 44: 1996 (5) पूरक। एससीआर 32; मनीष कुमार शाही बनाम बिहार राज्य और अन्य। 2010 (12) एस. सी. सी. 576-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भः

151(2008)डीएलटी353 संदर्भित किया गया है पैरा 10

1991 (4) एस. सी. सी 139 संदर्भित किया गया है पैरा 11

1996 (5) पूरक। एस. सी. आर. 32 संदर्भित किया गया है पैरा 11

2010 (12) एस. सी. सी. 576 संदर्भित किया गया है पैरा 20

2008 (2) एससीआर 1025 प्रतिष्ठित पैरा 22

2008 (5) एससीआर 1066 प्रतिष्ठित पैरा 22

1999 एस.सी. सी. (एल एंड एस) 1451 उस पर भरोसा करें पैरा 26

2011 (7) एससीआर 154 उस पर भरोसा करें पैरा 2 7

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 1099/2013

उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा एल. पी. ए. सं. 839/2011 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 29.11.2011 से उत्पन्न।

राकेश के. खन्ना, आभा आर शर्मा, डी. एस. परमार, सुशील तोमर, अपीलार्थियों के लिए ।

ज्योति सिंह, सुदर्शन राजन, उत्तरदाताओं की ओर से।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एच. एल. गोखले, न्यायाधिपति. 1. छुट्टी मंजूर की गई।

2. यह अपील चयन के मामले में न्यायिक समीक्षा का दायरा और सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा नियुक्तियाँ पर सवाल उठाती है। एकल पीठ दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने पाया है- सुरक्षा सहायक ग्रेड-II के चयन की, प्रक्रिया में त्रुटि है जो वर्ष 2009 में संसद के संयुक्त भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा भारत (अपीलार्थी संख्या 3), राज्यसभा सचिवालय और लोक सभा के लिए सभा सचिवालय (अपीलार्थी सं। 1 & 2) के लिए ली गयी थी उनके निर्णय दिनांक 1.9.2011 से और उत्तरदाताओं (असफल उम्मीदवारों) द्वारा दायर रिट याचिका (सी) 4835/2011 में दिया गया आदेश में उनके द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया से अपीलार्थियों को दावे पर विचार करने का निर्देश दिया। अपीलकर्ताओं द्वारा यहाँ दायर की गई अपील एल. पी. ए. 2011 की संख्या 839 की एक खंड पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया है। वह अपने निर्णय दिनांक 29.11.2011 के आदेश द्वारा, जिसके कारण विशेष अनुमति द्वारा वर्तमान अपील की गई है।

इस अपील के पिछे के तथ्य:-

3. यह अपील निम्नलिखित तथ्यों की पृष्ठभूमि में उत्पन्न होती है। वर्ष 2009 में किसी समय, अपीलार्थी सं. 3 ने एक आदेश जारी किया। विज्ञापन संख्या 04/2009, से आवेदन आमंत्रित किये। विभिन्न पद जैसे अनुसंधान सहायक, कनिष्ठ संसदीय रिपोर्टर, आशुलिपिक, अनुवादक, सुरक्षा सहायक ग्रेड-II, और जूनियर क्लर्क के लिए। इस मामले में हम सुरक्षा सहायक ग्रेड-II के पदों से संबंधित हैं। इस विज्ञापन में 37 रिक्तियों का विज्ञापन दिया गया था लोकसभा में सुरक्षा सहायक श्रेणी-II संवर्ग के लिए आैर 19 रिक्तिया राज्य सभा सचिवालय के लिये।

4. इन पदों के लिए परीक्षा की योजना को भी विज्ञापन में शामिल किया गया था। के लिए परीक्षा सुरक्षा सहायक ग्रेड-II की भर्ती आयोजित की जानी थी, चार चरणों में। वे इस प्रकार थेः

(1) प्रंभिक परीक्षा

(2) शारीरिक मापन और क्षेत्र परीक्षण,

(3) वर्णनात्मक प्रकार के लिखित पत्र,

(4) व्यक्तिगत साक्षात्कार

उम्मीदवारों से किसी भी विषय में स्नातक होने की उम्मीद की जाती थी। बशर्ते वे अपेक्षित शारीरिक योग्यता को पूरा करें लोकसभा और राज्यसभा के नियमों के अनुसार। परीक्षा की अनुमोदित योजना के अनुसार,

उम्मीदवारों की भर्ती चार चरणों में से प्रत्येक में उनके प्रदर्शन पर निर्भर थी। प्रत्येक परीक्षण एक उन्मूलन दौर था। अगले परीक्षण के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित मानकों को प्राप्त करने और प्रत्येक चरण में अर्हता प्राप्त करने की आवश्यकता थी। हालाँकि, उनके द्वारा तीसरे और चौथे में प्राप्त किए गए अंक अर्थात वर्णनात्मक प्रकार का लिखित पत्र और व्यक्तिगत साक्षात्कार, से अंतर-वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए विचार किया जाना था

5. (i) 'वांछनीय' के रूप में विज्ञापन में कुछ अतिरिक्त योग्यताएँ निर्दिष्ट जो इस प्रकार थींः

"वांछनीयः ' एन. सी. सी. का खिलाड़ियों में 'सी' प्रमाणपत्र या विशिष्ट खिलाडी जिन्होने राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या किसी देश या राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो या जिन्होने अंतर-विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो।

नोटः राज्यसभा सचिवालय में रिक्तियों के मामले मेंः

(i) ए. आई. सी. टी. ई./ डी. ओ. ई. ए. सी. सी. द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र / डी. ओ. ई. ए. सी. सी. द्वारा निधार्रित पाठयक्रम आैर पाठयक्रम

की अवधि के संदरभ में 'ओ' स्तर के समकक्ष पाठ्यक्रम भी एक वांछनीय योग्यता है।

(ए. आई. सी. टी. ई.-अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) (डी. ओ. ई. ए. सी. सी.- कंप्यूटर पाठ्यक्रम का इलेक्ट्रॉनिक्स प्रत्यायन विभाग) "

(ii) विज्ञापन में विशेष रूप से कहा गया है कि इन पदों के लिएः

" व्यक्तिगत साक्षात्कार 25 अंकों का होगा। उम्मीदवारों को व्यक्तिगत साक्षात्कार में न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने होंगे "।

(iii) विज्ञापन के पैरा XV में अंकों का कट ऑफ प्रतिशत निर्धारित किया गया है। यह पैरा इस प्रकार हैः

" XV. कट आॅफ अंको का प्रतिशत में कटौती ः लिखित परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार में अंकों के प्रतिशत में न्यूनतम कटौती 50 प्रतिशत, 45 प्रतिशत और 40% क्रमशः सामान्य, ओ. बी. सी. और एस. सी./एस. टी. में रिक्तियों के लिए। शारीरिक रूप से विकलांग के मामले में उपरोक्त प्रतिशत में 5 प्रतिशत की छूट है। प्रासंगिक अक्षमता और श्रेणी के व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग

व्यक्तियों की श्रेणी के लिए लोकसभा सचिवालय में शारीरिक रूप से विकलांग आरक्षित रिक्तियों के व्यकित्। ये प्रतिशत न्यूनतम अंक हैं जिन्हें एक उम्मीदवार को प्रत्येक पेपर/घटक में प्रास्त करने की आवश्यकता होती है और कुल मिलाकर लिखित परीक्षा में और व्यक्तिगत साक्षात्कार में। हालांकि, कट आॅफ प्रतिशत को व्यक्तिगत घटक/कागज/में बढ़ाया या कम किया जा सकता है। उचित रिक्ति पर पहुंचने के लिए 10 उम्मीदवार अनुपात "।

6. वर्णनात्मक प्रकार लिखने वाले उम्मीदवारों में से लिखित पत्र, 68 उम्मीदवारों ने न्यूनतम योग्यता प्राप्त की और 25 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाए गए। व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए अंकों का विभाजन इस प्रकार थाः

"क) परिधान, शिष्टाचार और रूप-रंग 6 अंक

ख) संचार में व्यवहार(चाहे वह विनम्र और अनुशासित हो) 6 अंक

ग) सुरक्षा सेवा से जुड़े कर्तव्यों की सामान्य जागरूकता और ज्ञान 6 अंक

घ) कौशल और पाठ्येतर गतिविधियाँ 5 अंक

1. एन. सी. सी. सी-प्रमाणपत्र 5 अंक

II. खेलकूद

अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर 5 अंक

विश्वविद्यालय स्तर 4 अंक

ड़) कंप्यूटर संचालन में प्रमाण पत्र 2 अंक "

7. यह अपीलार्थी का मामला है कि इनका विभाजन व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए अंकों को 2001 में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के महासचिवों द्वारा अनुमोदित किया गया था। जिन उम्मीदवारों को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था, उन्हें कॉल-पत्र भेजे गए थे, विशेष रूप से उन्हें सूचित किया गया था कि उन्हें एनसीसी/खेल के मूल प्रमाण पत्र या कंप्यूटर पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र लाना होगा। नमूना कॉल-पत्र दिनांकित 3.5.2011 एक उम्मीदवार को भेजा गया यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है: -

"भारत की संसद

(संयुक्त भरति कक्ष)

सुरक्षा सहायक श्रेणी-II लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय में भ्रती हेतु

संसद भवन एनेक्स,

क सं. 7/3/एसए-II (खुला)-जेआरसी/2010 ईडब्ल्यू दिल्ली-110001

तारीखः 3 मई 2011

कॉल **लेटर**

दिसंबर 2010 में आयोजित शारीरिक मापन परीक्षण, क्षेत्र परीक्षण और वर्णनात्मक प्रकार के लिखित पत्र में आपके प्रदर्शन के आधार पर आपको व्यक्तिगत साक्षात्कार दिनांक रविवार, 29 मई, 2011 संसद भवन एनेक्सी, नई दिल्ली में प्रकट होने के लिए सफल घोषित किया गया है।

2. आपका अनुक्रमांक 105999 है।

3. आपसे अनुरोध है कि आप सुबह 9:30 बजे उपस्थित रहें। स्वागत कार्यालय, संसद भवन एनेक्सी, नई दिल्ली, जहाँ से आपको साक्षात्कार स्थल ले जाया जाएगा।

4. आपको निम्नलिखित दस्तावेज/प्रशंसापत्र भी व्यक्तिगत साक्षात्कार में सत्यापन हेतु लाने होगें।

(i) जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में मैट्रिक या समकक्ष के मूल प्रमाण पत्र

(ii) सभी मूल शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं के प्रमाण पत्र

(iii) एन. सी. सी./खेल के सभी मूल प्रमाण पत्र।

(iv) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पहाड़ी क्षेत्र के निवासी का मूल प्रमाण पत्र, यदि कोई हो,

(v) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति, अनुसूचित

जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में)

5. यदि किसी उम्मीदवार ने कंप्यूटर कोसर् किया है उसे मूल प्रमाण पत्र लाना होगा। व्यक्तिगत साक्षात्कार के समय। हालांकि, उसी के लिए श्रेय केवल तभी दिया जाएगा जब वह स्थापित करें कि कंप्यूटर पाठ्यक्रम को अखिल भारतीय परिषद (ए. आई. सी. टी. ई.) या तकनीकी शिक्षा विभाग या डी. ओ. ई. ए. सी. सी. द्वारा निर्धारित 'आे' लेवल कोसर् के समकक्ष है अवधि एवं पाठ्यक्रम मे।

6. व्यक्तिगत साक्षात्कार में न्यूनतम योग्यता अंक सामान्य, ओ. बी. सी. और एस. सी./एस. टी. श्रेणियों में

रिक्तियों के लिए क्रमशः 50 प्रतिशत, 45 प्रतिशत और 40 प्रतिशत है।

7. चयन समग्र आधार पर किया जाएगा जिसमें वर्णनात्मक प्रकार में उम्मीदवारों का प्रदर्शन लिखित पत्र और व्यक्तिगत साक्षात्कार शमिल है आैर जो रिक्तियों के अधीन है।

8. संयुक्त भर्ती प्रकोष्ठ का निर्णय लोकसभा या राज्यसभा सचिवालय में सफल उमिमदवारो बाबत होगा ।

9. आपको इस कॉल लेटर को आयोजन स्थल पर लाना होगा व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु।

एसडी /

(ए. एस. के. दास)

अंडर सचिव "

8. अपीलार्थियों की ओर से इंगित किया गया था कि साक्षात्कार के समय संयुक्त भर्ती प्रकोष्ठ के अधिकारियों द्वारा प्रमाणपत्रों की जाँच करने की कवायद की गई थी। व्यक्तिगत साक्षात्कार से पहले दस्तावेजों का सत्यापन करके। अधिकारियों ने केवल साक्षात्कार बोर्ड की सहायता की, और समय बचा लिया। यह अभ्यास सभी उम्मीदवारों की उपस्थिति में किया गया था, और उन्हें इसकी पूरी जानकारी थी। एन. सी. सी. का 'सी' प्रमाणपत्र

प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवार पूर्ण 5 अंक के हकदार थे। इसी तरह कंप्यूटर प्रमाण पत्र का उत्पादन करने वाला उम्मीदवार 2 अंक का हकदार था। इन अंकों को देने में कोई विवेकाधिकार नही था। ये अंक साक्षात्कार बोर्ड के सदस्यों द्वारा दिये माना जाता है। प्रमाणपत्रों की जांच और मौखिक साक्षात्कार के बाद, 27 उम्मीदवारों का चयन किया गया। सुरक्षा सहायक ग्रेड-I लोकसभा के लिए 37 रिक्तियों की तुलना में, और 13 को 19 रिक्तियों के बदले राज्यसभा के लिए चुना गया।

9. उत्तरदाता कुछ ऐसे उम्मीदवार थे जो इस प्रक्रिया में भाग लिया लेकिन उनका चयन नहीं किया गया। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में लिखित याचिका दाखिल की। रिट याचिका (सी) 2011 की सं. 4835। उत्तरदाताओं ने मुख्य रूप से दो सवाल उठाए, (1) सबसे पहले, कि साक्षात्कार में अंकों के विभाजन का संकेत उन्हें पहले से नहीं दिया गया था, और (2) दूसरा, न्यूनतम कट-ऑफ अंकों की प्राप्ति (जैसे सामान्य श्रेणी के लिए 50 प्रतिशत) को 18 अंकों में से चुना जाना चाहिए। जो मौखिक साक्षात्कार, और एन. सी. सी. या कंप्यूटर पाठ्यक्रम प्रमाणपत्रों पर विचार इसके बाद किया जाना चाहिए था ।

10. इसमें अपीलकर्ताओं ने एकल न्यायाधीश से कहा कि यह मुद्दा अब पुनः एकीकृत नहीं था और इसका निर्णय एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय में किया गया था। जो महेश कुमार और अन्य बनाम भारत संघ 151 (2008) दिल्ली लॉ टाइम्स 353 के मामले में दिल्ली उच्च

न्यायालय द्वारा दिये गये फैसले में किया गया है। यह वर्ष 2006 में राज्यसभा सचिवालय में सुरक्षा सहायक ग्रेड-I के कैडर में चयन का मामला था। विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले जिसकी एक खंड पीठ द्वारा पुष्टि की गई थीअोर यह अभिनिर्धारित किया था कि साक्षात्कार में कौशल के लिए न्यूनतम कट आॅफ को दोष नहीं दिया जा सकता है। एकल न्यायाधीश ने यह भी कहा था कि साक्षात्कार के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक निर्धारित करने का निर्णय संपूणर् व वैज्ञानिक तरीके से लिया गया था "।

11. हालाँकि, वर्तमान मामले में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने समक्ष मामले को महेश कुमार (ऊपर) से अलग कर दिया। यह अभिनिर्धारित करते हुए कि कोई तर्क नहीं थे कि साक्षात्कार के अंकों (18 + 7 के रूप में) का विभाजन उचित नहीं था, और यह कि किसी भी स्थिति में यह विज्ञापन में निर्दिष्ट नहीं था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता का प्रश्न उस मामले में उठाया गया और इसलिए, वह इसमें जा सकता था, क्योंकि उप-मौन का सिद्धांत नियम के अपवाद के रूप में काम करता है। उन्होंने राज्य में इस न्यायालय के दो फैसलों पर भरोसा किया। यू. पी बनाम सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड ने 1991 (4) एस. सी. सी. 139 और भारत संघ बनाम धनवंती देवी ने 1996 (6) एस. सी. सी. 44 में ।

12. इस मुद्दे में जाने का फैसला करने के बाद, एकल न्यायाधीश ने अपने निर्णय के पैरा 25 में कहा कि प्रमाण पत्र के लिए 25 अंकों में से 7

अंक आवंटित किए गए हैं। साक्षात्कार के परिणामस्वरूप उन उम्मीदवारों को हटा दिया गया था जिन्होंने 18 अंको में से अन्यथा न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त किए थे। उन्होंने आगे कहा कि भले ही अंक दिए जाने हों प्रमाणपत्रों के लिए, उन्हें योग्यता अंकों के अतिरिक्त होना चाहिए था, और उनका उपयोग उन्हे हटाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए था। जिन्होंने साक्षात्कार के शेष भाग में अंकों के अनुसार अर्हता प्राप्त की थी।

13. इसके बाद विद्वान न्यायाधीश ने पैराग्राफ 26 में फैसला सुनाया। इस प्रकार हैः

> " 26. न्यूनतम योग्यता प्रतिशत के मानदंड को पच्चीस अंकों तक लागू करने में उत्तरदाता की कार्रवाई और 18 अंकों तक नहीं जो वास्तविक साक्षात्कार से संबंधित हैं और वह भी विज्ञापन में या साक्षात्कार से पहले उम्मीदवारों को इस परिवर्तन का खुलासा किए बिना यह मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। इसके परिणामस्वरूप उन लोगों काे अनुचित तरीके से हटाया है। जिन्होंने न्यूनतम योग्यता प्रतिशत प्राप्त की है (सामान्य श्रेणी के लिए 50 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 45 प्रतिशत और 40 % एससी/एसटी) लिखित परीक्षा के साथ-साथ वास्तविक परीक्षा दोनों में "।

14. विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपनी याचिका को स्वीकार कर लिया निर्णय और आदेश दिनांकित 1.9.2011, लेकिन लाभ को सीमित कर दिया न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं तक और निर्देश दिया कि उनके द्वारा सुझाए गए मानदंडों को लागू करने पर यदि याचिकाकर्ताओं में से कोई भी योग्य पाया जाता है, तो वे उन्हे या तो लोकसभा में या राज्यसभा सचिवालय में पदों पर नियुक्तियों की पेशकश की जायेगी।

15. अपीलकर्ताओं ने लेटर पेटेंट में डिवीजन बेंच में अपील में मामले को उठाया जिसने दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया जिसने लर्नड सिंगल जज को अपील की थी। डिवीजन बेंच ने 2011 के एल. पी. ए. नंबर 839 को अपने फैसले और दिनांक 29.11.2011 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया। डिवीजन बेंच, हालांकि, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निर्धारित सिद्धांत का लाभ उन सभी लोगों को दिया गया जिन्होने चयन प्रक्रिया में भाग लिया। डिवीजन बेंच एक अन्य पहलू में आगे बढ़ी। एन. सी. सी. में भाग लेना या कंप्यूटर पाठ्यक्रम पूरा करना, यह निम्नलिखित रूप में देखा गयाः

> "3 ..... हम यह मानते थे कि केवल एन. सी. सी./खेल और/या कंप्यूटर में भाग लेने वाले एक उम्मीदवार एक उम्मीदवार को अधिकतम अंक 5/2 पारस करने का अधिकार नहीं है। इसके लिए क्रमशः 5 और 2 के अंक निर्धारित किए गए थे और संबंधित क्षेत्र के उम्मदीवार की

दक्षता और भागीदारी की सीमा का आकलन करना साक्षात्कार बोर्ड का काम था और इसलिए आवंटिट किए जाने वाले अंक एन. सी. सी./खेल के मामले में शून्य से पांच और कंप्यूटर संचालन में प्रमाण पत्र में शून्य से दो तक भिन्न हो सकते है।"

16. इसलिए डिवीजन बेंच ने स्वीकार कर लिया। एकल न्यायाधीश द्वारा निर्धारित प्रस्ताव कि साक्षात्कार के लिए अंकों की गणना केवल 18 अंकों में से की जानी थी। आगे निर्देश दिया कि जहां एन. सी. सी./खेल या कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रवीणता का निर्णय साक्षात्कार बोर्ड द्वारा किया जाना था, उन अंकों को इसके अनुसार शून्य से पांच की सीमा में जोड़ा जाना चाहिए ऊपर उद्धृत पैराग्राफ 3 में टिप्पणियाँ अनुसार इन दोनों निर्णयों से व्यथित होकर यह अपील दायर की गई है।

<u>प्रतिद्वंद्वी दलों द्वारा प्रस्तुतियाँः</u>

17. श्री आर.के. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील खन्ना ने कहा कि विद्वान एकल न्यायाधीश और साथ ही डिवीजन बेंच न्यायिक समीक्षा करते समय ऐसे क्षेत्र में चले गए हैं जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए था। उनके निवेदन में, विज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि एनसीसी में सी-प्रमाणपत्र या खेल प्रमाणपत्र या कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाणपत्र डी 'वांछनीय' थे। कॉल लेटर में विशेष रूप से उम्मीदवारों से मूल

प्रमाणपत्रों के साथ आने का आह्वान किया गया है। साक्षात्कार के 25 अंकों में से अंक कैसे दिए जाने चाहिए, यह साक्षात्कार बोर्ड द्वारा तय किया जाने वाला पहलू था। उन्होंने बताया कि फिर भी, मनमानी से बचने के लिए, 2001 में लोकसभा और राज्यसभा के सचिवों के निर्णय के अनुसार अंकों का ई-विभाजन किया गया था। पिछला चयन भी 2006 में उसी आधार पर किया गया था। , और उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश और खंडपीठ द्वारा बरकरार रखा गया था। इसलिए, एफ को उच्च न्यायालय से यह उम्मीद नहीं थी कि वह एक बार फिर उस विवाद में जाएगा। किसी भी मामले में, यह मानते हुए कि याचिका पर फैसला करते समय विवाद को नए सिरे से सुलझाया जा सकता है। सवाल यह है कि साक्षात्कार बोर्ड को अंक कैसे देने चाहिए थे, जो न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर था। दूसरे, कोर्ट ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि प्रमाणपत्रों पर अंक समान रूप से दिए गए थे और इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया गया था। उनके प्रस्तुतीकरण में, अदालत के पास प्रासंगिक आवश्यकताओं को साक्षात्कार बोर्ड पर थोपने का कोई अवसर नहीं था।

18. सुश्री ज्योति सिंह, वरिष्ठ वकील की ओर से उपस्थित हुईं दूसरी ओर, उत्तरदाताओं ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश का यह मानना सही था कि महेश कुमार (सुप्रा) ने इस मुद्दे पर उस तरीके से विचार नहीं किया था जिस तरह से इसे वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय के समक्ष रखा गया था। विज्ञापन में साफ तौर पर 25

अंकों का इंटरव्यू बताया गया था। साक्षात्कार के अंकों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करने के बारे में उत्तरदाताओं को साक्षात्कार से पहले कभी भी सूचित नहीं किया गया था। यदि मौखिक साक्षात्कार 18 अंकों का था, तो कट-ऑफ अंकों का मूल्यांकन 18 अंकों में से किया जाना चाहिए था, और प्रमाणपत्रों के अंक बाद में जोड़े जाने चाहिए थे। साक्षात्कार के लिए अंक आवंटित करने का तरीका मनमाना था और इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर से वंचित कर दिया गया। इसलिए, उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

प्रस्तुतियों पर विचारः

19. श्री खन्ना का पहला निवेदन यह रहा है कि अपीलार्थियों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को उच्च न्यायालय द्वारा महेश कुमार (उपरोक्त) मामले में पहले ही मंजूरी दे दी गई थी। इस बार भी उसी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि अगर हम महेश कुमार (ऊपर) के फैसले पर गौर करें तो अंको के आवंटन में उसी प्रक्रिया को निर्णय के पैरा 14 में पुनः प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में मामला भी एकल न्यायाधीश ने अपने मामले के पैरा 15 में स्वीकार कर लिया है कि दोनों मामलों में योग्यता की आवश्यकताएँ एक ही थी। अंकों के आवंटन के प्रारूप पर विद्वान पीठ की टिप्पणी इस प्रकार हैः-

" 17. किसी विशेष पद पर उम्मीदवारों की भर्ती के लिए एक प्रक्रिया क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित की जाती है जिसके बाद आवश्यक अनुसंधान करना आवश्यक है नौकरी की आवश्यता आैर प्रकृति को देखते हुए। किसी को इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि यदि चयन प्रक्रिया को चरणों की श्रृंखला में विभाजित किया जाता है प्रत्येक कदम का एक उद्देश्य होता है और इसे शामिल किया गया है एक उद्देश्य के साथ, चाहे वह लिखित परीक्षा/शारीरिक परीक्षा हो या एक साक्षात्कार। प्रतिवादी द्वारा तैयार की गयी प्रकृिया बहुत हद तक मनमानेपन को समाप्त करता है।

क्योंकि यह केवल साक्षात्कार बोर्ड सदस्यों की सनक नहीं है। मूल्यांकन के लिए उचित प्रारूप है जो लगभग एक अन्य लिखित परीक्षा के समान है। मूल्यांकन के लिए प्रारूप में विभिन्न लक्षणों के लिए अलग-अलग अंक होते हैं। जिनका विवरण पहले के अनुच्छेद में दिया गया है।

29. वर्तमान मामले में, मानदंडों को मंजूरी दी गई थी लोकसभा और राज्यसभा के महासचिवों द्वारा सभा और किसी भी मनमानी को कम करने के लिए या व्यक्तिगत धारणा, अलग अंक आवंटित किए गए थे। पोशाक, शिष्टाचार और दिखावट, संचार में व्यवहार (चाहे विनम्र और

अनुशासित); सुरक्षा सेवाओं में शामिल कर्तव्यों की सामान्य जागरूकता और ज्ञान, कौशल और पाठ्येतर गतिविधियाँ। मौखिक साक्षात्कार में, अंक इस आधार पर भी दिए जाने थे कि क्या उम्मीदवारों ने एनसीसी या खेल या अर्धसैनिक बलों में भाग लिया था और कंप्यूटर संचालन के ज्ञान को भी वेटेज दिया गया था। विभिन्न शीर्षों के इस विस्तृत विवरण के साथ, जिसके तहत साक्षात्कार में उम्मीदवारों को अंक दिए गए थे, यह अनुमान लगाना उचित है कि मौखिक परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक आवंटित करते समय, निर्णय पूरी तरह से और वैज्ञानिक रूप से लिया गया था।

महेश कुमार मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को डिवीजन बेंच ने अपरिवर्तित छोड़ दिया था। श्री खन्ना द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि एक बार डिवीजन बेंच द्वारा चयन की योजना को मंजूरी दे दी गई थी, तो वर्तमान मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश को इस तर्क पर विचार नहीं करना चाहिए था कि वर्तमान मामले में उठाए गए प्रस्तुतियाँ पहले नहीं उठाई गई थीं।

20. यह भी प्रस्तुत किया गया था कि उत्तरदाताओं ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया। इसकी अनुमति नहीं थी कि वे बाद में भर्ती प्रक्रिया को

चुनौती देंगे। मनीष कुमार शाही बनाम बिहार राज्य और अन्य 2010 (12) एससीसी 576 पर।

21. अपीलकर्ताओं की दलीलों के विपरीत, उत्तरदाताओं की दलील यह है कि यद्यपि उन्होंने समग्र प्रदर्शन यानी लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में संयुक्त रूप से उच्च अंक प्राप्त किए, लेकिन उन्होंने पाया कि अन्य उम्मीदवारों का चयन किया गया था, हालांकि उनकी योग्यता कुल मिलाकर कम थी। उन्हें, और फिर भी उन्हें उच्च अंक प्राप्त करने वाले के रूप में दिखाया गया था। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जांच करने के बाद, उन्हें पता चला कि चयनित उम्मीदवारों को एनसीसी और/या कंप्यूटर कोर्स प्रमाणपत्र होने के कारण अधिक अंक दिए गए थे, जिससे कम योग्यता वाले उम्मीदवारों का चयन हुआ। उनका तर्क था कि अंकों को विभाजित करने की विधि उन्हें नहीं बताई गई। यह अन्यायपूर्ण, भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन था।

22. विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने आक्षेपित निर्णय में के. मंजुश्री बनाम के मामलों का उल्लेख किया है। आंध्र प्रदेश राज्य ने 2008 में रिपोर्ट दी (3) एससीसी 512 और हिमानी मल्होत्रा बनाम। देही उच्च न्यायालय ने 2008 (7) एससीसी 11 में रिपोर्ट दी। हालाँकि, इन दोनों मामलों में तथ्यात्मक स्थिति वर्तमान मामले से काफी अलग है। मंजुश्री (सुप्रा) में, साक्षात्कार समाप्त होने और पहली मेरिट सूची तैयार होने के

बाद न्यूनतम कट-ऑफ अंक निर्धारित किए गए थे। हिमानी मल्होत्रा (सुप्रा) में साक्षात्कार के लिए न्यूनतम योग्यता अंकों के बारे में विज्ञापन में कोई संकेत नहीं था और लिखित परीक्षा समाप्त होने और मौखिक साक्षात्कार की तारीख स्थगित होने के बाद चयन समिति द्वारा इसे पेश किया गया था।

23. हमारे सामने सवाल यह है कि क्या प्रमाणपत्र अंकों को 25 साक्षात्कार अंकों का एक घटक बनाने के लिए साक्षात्कार बोर्ड को दोषी ठहराया जा सकता है, और क्या इससे उम्मीदवारों को किसी भी तरह से आश्चर्य हुआ था। इस संबंध में हमें ध्यान देना चाहिए कि अपीलकर्ताओं ने विज्ञापन दिया था कि एनसीसी/स्पोर्ट्स और कंप्यूटर प्रमाणपत्र 'वांछनीय' थे। कॉल-लेटर, में उसके पैराग्राफ 5 में, विशेष रूप से उम्मीदवारों से व्यक्तिगत साक्षात्कार के समय अपने प्रमाण पत्र लाने कहा गया है। इसमें आगे कहा गया है कि इसके लिए क्रेडिट केवल तभी दिया जाएगा जब प्रमाणपत्र के साथ संबंधित संस्थान द्वारा यह घोषणा की जाएगी कि उम्मीदवार द्वारा किया गया कोर्स एआईसीटीई या डीओईएसीसी द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि साक्षात्कार के एक भाग के रूप में उन प्रमाणपत्रों को श्रेय दिया जाना था। इसलिए, उत्तरदाता कोई शिकायत नहीं कर सकते कि सफल उम्मीदवारों को ऐसे प्रमाणपत्रों के लिए 7 (25 में से) अंक देकर उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया गया। न ही सी उत्तरदाता यह कह सकते हैं कि उनके साथ कोई पूर्वाग्रह हुआ है, क्योंकि

ऐसे प्रमाण पत्र रखने वाले सभी उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र के लिए समान रूप से 5 और/या 2 अंक दिए गए थे, और जिनके पास प्रमाण पत्र नहीं थे उन्हें ऐसे अंक नहीं दिए गए थे। इसलिए, इस प्रक्रिया को मनमाना नहीं कहा जा सकता।

24. उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय एक और कारण से गलत थे। वर्तमान मामले में साक्षात्कार 25 अंकों का होना था। वह दृष्टिकोण जिसने अपील की है उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों के लिए इसका अर्थ होगा कि कट-ऑफ अंक (मान लीजिए 50 प्रतिशत) 18 अंकों में से प्राप्त करने होंगे। जबकि विज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि कट-ऑफ के अंक लिखित परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार परीक्षा में प्राप्त किया जाना था। इसका मतलब था साक्षात्कार के लिए निधार्रण 25 अंकों में से कट-ऑफ अंक प्राप्त करना। उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार दृष्टिकोण का परिणाम यह होगा कि यह भी हो सकता है कि जिन उम्मीदवारों के पास एन. सी. सी./खेल प्रमाण पत्र या कोई कंप्यूटर पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र नहीं था, वे उच्च अंक प्राप्त करेंगे 18 अंकों में से और सूची में शीर्ष पर रहेगें। दूसरी ओर, जिन उम्मीदवारों के पास ये प्रमाण पत्र हैं, उन्हें 18 में से कट-ऑफ अंक नहीं मिल सकते हैं, या उन्हे वे अंक प्राप्त होते हैं तो वे चयन के लिए योग्यता क्रम में अंतर-वरिष्ठता में निचले स्तर पर आ सकते है। यह निश्चित रूप से चयन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करने के लिए नहीं था, जब इन प्रमाणपत्रों को वांछनीय घोषित किया गया था।

25. आक्षेपित आदेश में डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में एच की सिफारिश की है, जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवारों की दक्षता का मूल्यांकन 0 से 5 के पैमाने पर किया जाएगा। इसका मतलब होगा कि जहां तक कंप्यूटर पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र का संबंध है, एक और परीक्षा आयोजित करना, या संबंधित उम्मीदवारों को किसी विशेष खेल में या एनसीसी कैडेट के रूप में अपना कौशल प्रदर्शित करने के लिए कहना होगा। विज्ञापन में निश्चित रूप से इस पर विचार नहीं किया गया था। विज्ञापन में केवल बी में कहा गया था कि एनसीसी/स्पोर्ट सर्टिफिकेट और एआईसीटीई/डीओईएसीसी द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट वांछनीय था। कॉल-लेटर में विशेष रूप से कहा गया है कि साक्षात्कार के समय उन्हें क्रेडिट दिया जाएगा। संयुक्त भर्ती सेल उचित सी अधिकारियों से प्राप्त होने के बाद उन प्रमाणपत्रों के पीछे नहीं जाना चाहता था, और इसलिए, साक्षात्कार बोर्ड ने उन उम्मीदवारों को सभी अंक दिए, जिन्होंने उन प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत किया, जिससे उन्हें 25 अंकों में से एक घटक बना दिया गया। इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता कि अपीलकर्ताओं ने एक समान मानक लागू किया है। याचिका दायर करने वाले सभी प्रतिवादी कांस्टेबल थे। इन्हीं में से सुरक्षा सहायकों के पद भरे जा रहे थे। हालाँकि, पोशाक, शिष्टाचार और उपस्थिति को 6 अंक दिए गए थे, संचार में व्यवहार को 6 अंक आवंटित किए गए थे और सामान्य जागरूकता और सुरक्षा सेवा में शामिल कर्तव्यों के ज्ञान को 6 अंक आवंटित किए गए थे, जो श्धांछनीयश् था वह

एनसीसी/खेल या कंप्यूटर पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र होना था। . यह लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय को तय करना था कि वे सुरक्षा सहायकों में क्या योग्यता चाहते हैं। वे खेल/एनसीसी और कंप्यूटर पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र वाले व्यक्ति चाहते थे। इसलिए, उन्होंने विशेष रूप से उन प्रमाणपत्रों को वांछनीय बताया। इन प्रमाणपत्रों के लिए 5+2 अंक निर्दिष्ट करना लक्ष्य प्राप्ति के अनुरूप था। इसलिए, इन प्रमाणपत्रों को 25 में से 7 अंक देने में साक्षात्कार बोर्ड द्वारा अपनाई गई पद्धति को सार्वजनिक रोजगार के मामले में समान अवसर से वंचित करने के रूप में गलत नहीं ठहराया जा सकता है। असमान उम्मीदवारों से समान व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती। इस प्रकार, चयन की वर्तमान प्रक्रिया में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 या 16 का कोई उल्लंघन नहीं है।

26. उच्च न्यायालय ने जो किया है वह अपने आप को लागू करना है साक्षात्कार बोर्ड पर यह इंटरव्यू बोर्ड को तय करना था कि कौन सा विधि का पालन करें। साक्षात्कार बोर्ड ने एक विशेष का पालन किया था वर्ष 2006 में की शुरुआत में, जिसे एकल न्यायाधीश और दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा बरकरार रखा गया था। साक्षात्कार बोर्ड उसी पैटर्न का पालन कर रहा था। हम इस स्तर पर हरियाणा सेवा आयोग बनाम अमरजीत सिंह ने 1999 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 1451 में इस न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश का उल्लेख कर सकते हैं। कृषि अभियंता और विषय वस्तु विशेषज्ञों के पद के लिए चयन का था। एच.पी.एस.सी ने

40 प्रतिशत अंक तक उच्च योग्यता और विशेष प्रशिक्षण के लिए आवंटित किये थे। उच्च न्यायालय ने इसमें हस्तक्षेप किया था क्योंकि यह मनमाना था और आयोग को प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के नाम भेजने का निर्देश दिया। यह बताने के बाद कि नियुक्ति के लिए साक्षात्कार में उन्हें क्या अंक आवंटित किए जाने चाहिए थे। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि लोक आयोग द्वारा अपनाया गया मानक दोषपूर्ण हो सकता है, लेकिन वही मानक लागू किया गया था सभी के लिए, और उत्तरदाताओं संख्या 1 और 2 या कोई भी उम्मीदवारों पर प्रतिकूल प्रभाव नही डाला। न्यायालय ने कहा किः

> "3 ..... जब एक समान प्रक्रिया अपनाई गई थी आैर चयन किये गये थे तो उच्च न्यायालय के लिए जांच करना अनुचित है अधिक विस्तार से और दो उम्मीदवारो को अंक आवंटित करना अनुचित था और उसके बाद अपीलार्थी आयोग को निर्देश दिया उन्हें चुनने के लिए ।"

27. बड़ौत में विजयकुमार बालकृष्ण एवं अन्य। बनाम मोध विनयकुमार दशरथलाल एवं अन्य। 2011 में रिपोर्ट की गई (7) एससीसी 308 संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियम। गुजरात राज्य में सहायक लोक अभियोजक के पदों के लिए चयन प्रक्रिया को नियंत्रित करते हुए यह अनिवार्य है कि लिखित परीक्षा और मौखिक साक्षात्कार के लिए न्यूनतम योग्यता अंक होंगे। उस मामले में विज्ञापन में मौखिक

परीक्षा के लिए कट-ऑफ अंक निर्दिष्ट नहीं किए गए थे। जैसा कि इस न्यायालय ने देखा, उस चूक को देखते हुए, केवल दो पाठ्यक्रम खुले थे। एक, चयन प्रक्रिया को जारी रखना, और मौखिक परीक्षा के लिए कोई कट-ऑफ अंक तय करना, और लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के योग के आधार पर चयन सूची तैयार करना। यह स्पष्ट रूप से गलत होता और चयन को नियंत्रित करने वाले वैधानिक नियमों का उल्लंघन होता। दूसरा कोर्स मौखिक परीक्षा के लिए कट-ऑफ अंक तय करना और बी साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को सूचित करना था। इस कोर्स को आयोग ने साक्षात्कार से ठीक दो या तीन दिन पहले अपनाया था। फिर भी, इससे अभ्यर्थियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा और इसलिए न्यायालय ने चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं किया। वर्तमान मामले में कॉल लेटर में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि संबंधित प्रमाणपत्रों को साक्षात्कार के समय क्रेडिट दिया जाएगा, क्योंकि वे श्धांछनीयश् थे, और इसलिए किसी भी पूर्वाग्रह या निष्पक्षता की कमी का कोई सवाल ही नहीं था। प्रमाणपत्रों के लिए निर्दिष्ट अंक देने में साक्षात्कार बोर्ड का।

28. इस तथ्यात्मक और कानूनी परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, हमारे विचार में सुरक्षा सहायक ग्रेड- प्प् के चयन में अपीलकर्ताओं द्वारा लागू की गई विधि में कुछ भी गलत नहीं था। साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों के बीच किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया गया, न ही

विज्ञापित आवश्यकताओं से कोई विचलन किया गया। कोई भी हमेशा कह सकता है कि कोई अन्य विधि ई बेहतर विधि होती, लेकिन यह न्यायालय का काम नहीं है कि वह जो उचित समझे उसे उसके स्थान पर प्रतिस्थापित करे जिसे चयन प्राधिकारी ने वांछनीय माना है। उम्मीदवारों के अधिकारों का ख्याल रखते हुए, न्यायालय चयन प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट आवश्यकताओं को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेशों में जो प्रस्तावित किया है वह चयन के नियमों को फिर से लिखने के समान है, जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते समय स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य था।

29. ऊपर बताए गए कारणों से हम इस अपील की अनुमति देते हैं और एकल न्यायाधीश के विवादित निर्णयों को एवं डिवीजन बेंच के निणर्य को अपास्त करते है। प्रत्यर्थियों द्वारा दायर 2011 की सं. 4835 वाली रिट याचिका खारिज हो जाएगी हालांकि, मामले के तथ्यों के अनुसार, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

के. टी.

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से न्यायिक अधिकारी रिद्विमा शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u>- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****